

**34.7 (ख) नाप-तौल उपकरणों का पुनः सत्यापन (नाप-तौल उपकरण जो अपने स्थान से हटाये नहीं जा सकते या हटाये नहीं जाना चाहिए) कराने के संबंध में आवेदन (विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत)**

चरण-1	<p><b>आवेदन कब करें ?</b></p> <p>नाप-तौल उपकरणों को पुनः सत्यापित कराना हो ।</p>
चरण-2	<p><b>आवेदन कौन कर सकता है ?</b></p> <p>नाप-तौल उपकरणों का पुनः सत्यापन कराने वाले व्यक्ति ।</p>
चरण-3	<p><b>अ- आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज (स्कैन कर अपलोड करें)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. पूर्व में जारी सत्यापन प्रमाण पत्र की प्रति । (वैकल्पिक)</li> <li>2. प्रस्तुत किये जा रहे उपकरण में यदि सुधार कार्य करवाया गया है तो संबंधित सुधारक की रिपोर्ट / गेटपास की प्रति । (वैकल्पिक)</li> </ol>
चरण-4	<p><b>आवेदन के साथ शुल्क ?</b></p> <p>आवेदन के साथ मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 की अनुसूची – आठ में निर्धारित शुल्क ।</p>
चरण-5	<p><b>शुल्क कैसे जमा करें ?</b></p> <p>आनलाईन आवेदन करते समय उपलब्ध लिंक से ।</p>
चरण-6	<p><b>आवेदन कैसे करें ?</b></p> <p>ऑन लाईन आवेदन हेतु लिंक -----  <a href="http://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx">http://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx</a> पोर्टल पर सिटीजन लॉगिन के माध्यम से</p>
चरण-7	<p><b>अनुमोदन की समय-सीमा ?</b></p> <p>ऑन लाईन आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में –</p> <p>नाप-तौल उपकरणों का पुनः सत्यापन - 15 कार्य दिवस के अंदर</p> <p>(नाप-तौल उपकरण जो अपने स्थान से हटाये नहीं जा सकते या हटाये नहीं जाना चाहिए)</p>

चरण-8	<p><b>सत्यापन प्रमाण-पत्र कैसे प्राप्त करेगा ?</b></p> <p>STEP-1 : <a href="http://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx">http://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx</a> Link पर Click करें</p> <p>STEP-2 : इसके पश्चात पंजीकृत आवेदन खोजें पर Click करें</p> <p>STEP-3 : <b>Show / File Movement</b> के नीचे View पर Click करें</p> <p>STEP-4 : <b>File</b> के नीचे View पर Click करें</p> <p>STEP-5 : <b>Correspondance</b> के आखिरी नंबर को Click करें</p>
चरण-9	<p><b>अपीलीय अधिकारी:-</b></p> <p>संबंधित उप / सहायक नियंत्रक नाप-तौल</p> <p>अपील कब करें – आवेदक का आवेदन बगैर किसी कारण से निरस्त करने या समय सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं करने पर आवेदक अपील करेगा ।</p>
चरण-10	<p><b>डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण-पत्र का सत्यापन:-</b></p> <p>STEP-1 : <a href="http://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx">http://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx</a> Link पर Click करें</p> <p>STEP-2 : डिजीटल हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट जांचे पर Click करें</p>